न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 195/20 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2020/00195)

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मूलचंद जाति जाट निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्टस

बनाम

1. पुन्नाराम पुत्र गुलबा जाति कोली निवासी ब्रहमवाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये आवंटन सलाहकार समिति एसडीओ भरतपुर।
3. पंचायत समिति सेवर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 5.5.2015 अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 वसिलसिले आदेश आवंटन सलाहकार समिति भरतपुर दिनांक 2.10.1970

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्दसिंह डागुर वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 17.10.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 5.5.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी राजेन्द्रसिंह के द्वारा तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया गया था कि साविक आराजी खसरा नम्बर 1792 रकबा 1 बीघा 14 विस्बा ग्राम सेवरकलां में स्थित है। उक्त आराजी में से 1 बीघा 10 विस्बा का आवंटन नारायण पुत्र लुथा जाति बलाई निवासी सेवर को तथा शेष रकबा 4 विस्बा का आवंटन मंगल पुत्र शोभा जाति जाटव निवासी सेवर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अन्य बारह व्यक्तियों के साथ दिनांक 2.10.70 को किया गया था। साविक आराजी खसरा नम्बर 1972 रकबा 1 बीघा 14 विस्बा के हाल खसरा नम्बर 1815/232, 1815/2393 बनाये गये है। नारायण व मंगल को कपट, दुर्वप्रदर्शन एवं नियमों के विरूद्ध आवंटन किये जाने, वक्त आवंटन विवादित आराजी मौके पर खाली नहीं होने व ना ही मौके पर कृषि भूमि होने का उल्लेख किया गया आराजी खसरा नम्बर 1792 में पंचायत समिति सेवर का कार्यालय भवन बने होने व इसकी पुष्टि में खसरा गिरदावरी सम्वत 2026–2028 से पेश किये जाने का उल्लेख करते हुए वक्त आवंटन आवंटित भूमि कृषि के उपयोग में नहीं आने के

कारण आवंटन आदेश दिनांक 02.07.1970 शुरू से ही अवैद्य व शून्य प्रभाव लिये होने का बताया गया था। उक्त आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण संख्या 68 से आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज किये जाने को भी नियम विरूद्ध बताकर अपील पेश की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 1 विकय पत्र आवंटी मंगल पुत्र शोभा से अपने नाम कराने तथा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज स्वयं के नाम से गलत रूप से करवाने का उल्लेख किया गया था, क्योंकि विवादित आराजी पर आवंटी मंगल का कब्जा नहीं होकर पंचायत समिति सेवर का कार्यालय स्थापित था। आवंटी मंगल पुत्र शोभा का देहान्त होने तक मौके पर आवंटित भूमि पर कोई कब्जा नहीं था। इसलिए अन्य को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में आवंटन नियमों के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसमें साविक खसरा नंबर 1792 जिसके हाल खसरा नंबर 1815/2392 बनाए गए थे, का आवंटन निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई थी, परन्तु जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट का 14 (4) संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन सलाहकार समिति की ओर से पारित आदेश दिनांक 02.10.1970 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हुए आवंटन को यथावत रखा गया। जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 05.05.2015 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2015 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि दिनांक 02.10.1970 को आवंटी नारायण व मंगल को जो आवंटन किया गया था। वह कपट, दुर्वप्रदर्शन एवं नियमों के विरूद्ध किया गया था। इस तरह के आवंटन में यदि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हों तो भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 1999 आर.बी.जे. पेज 443 व 2013 आर.बी.जे पेज 621 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार 2013 आर.बी.जे. पेज 12, 2007 (1) आर.आर.टी पेज 87, 2004 (2) आर.आर.टी पेज 1072, 2021 (1) आर.आर.टी पेज 212 व 2003 आर.बी.जे. पेज 316 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यदि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है तो ऐसा आवंटन निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में भी आवंटियों को आवंटन आदेश की पालना में न तो आवंटित भूमि का कब्जा दिया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई सनद जारी की गई है तथा उक्त भूमि में आवंटियों द्वारा कभी भी कृषि नहीं की गई है। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन आवंटन निरस्तनीय है। कृषि भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 बनाए हुए हैं। कृषि भूमि हेतु भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा किये जाने के प्रावधान हैं।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

नियम 13 के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटित की जाती है। इस समिति में संबंधित विधानसभा सदस्य, पंचायत समिति के प्रधान, ग्राम पंचायत के सरपंच, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तहसीलदार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई एक व्यक्ति जिसे पंचायत समिति द्वारा अपने सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किया गया हो व राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में नाम निर्दिष्ट कोई एक व्यक्ति जिनमें ऐसा नाम निर्देशन राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक समझे को शामिल किया गया है। उक्त नियमों के नियम 13 (3) क के अनुसार सलाहकार समिति की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम 3 सदस्यों का होगा जिनमें से विधानसभा सदस्य प्रधान व सरपंच आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। उक्त प्रकरण में न तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया है और न ही वक्त आवंटन सलाहकार समिति का कोरम ही पूरा था, परन्तु इस तथ्य को जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नजरअंदाज किया गया है, जो आवंटन आदेश अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए हों उसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने उक्त तर्क के समर्थन में 2000 आर.बी.जे पेज 548 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिस खसरा नंबर 1792 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी नारायण व मंगल को आवंटित की गई है। वह भूमि न तो वक्त आवंटन मौके पर खाली थी और न ही कृषि प्रयोजनार्थ ही कार्य में ली जा रही थी। जिसकी पुष्टि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2026 से 2028 से हो रही है। इसके अनुसार खसरा नंबर 1792 में पंचायत समिति कार्यालय का भवन बना हुआ है तथा कुछ भूमि में आबादी बसी हुई थी इसलिए इस भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता था। सम्वत 2028 के बाद भी उक्त खसरा नंबर गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है। दिनांक 02.10.1970 के आवंटन के आधार पर साबिक खसरा नंबर 1792 रकबा 4 बिस्वा नामान्तकरण संख्या 683 के द्वारा आवंटी मंगल की खातेदारी में दर्ज कर दिए गए जो कि अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए हैं, क्योंकि मूल आवंटन आदेश ही अवैद्य है। आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण ऐसा आवंटन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में 2019 (1) आर.आर.टी पेज 367, 2022 (1) आर.आर.टी पेज 686 व 2021 (1) आर.आर.टी पेज 740 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। आवंटी के नाम हुए गलत इन्द्राज के आधार पर बाद रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि आवंटी मंगल पुत्र शोभा से अपने नाम करा ली गई तथा राजस्व रिकार्ड में भी खातेदारी में दर्ज करा लिया गया। जबकि उक्त भूमि में पंचायत समिति का कार्यालय स्थापित होने के कारण न तो कभी आवंटी मंगल का कब्जा रहा और न ही रैस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही कब्जा रहा। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 सेवर का निवासी नहीं होकर तहसील बयाना का निवासी है। मूल आवंटी मंगल को जब कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए तो रैस्पोडेन्ट को भी किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार साबिक खसरा नंबर 1792 के रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन नारायण पुत्र लुथा को किया

संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

गया था। इस खसरा नंबर में भी पंचायत समिति का कार्यालय स्थापित होने के कारण आवंटी का कभी कब्जा नहीं रहा। साविक खसरा नंबर 1792 के हाल खसरा नंबर 1815/2393 रकबा 0.14 में ग्राम पंचायत सेवर किस्म गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया है कि आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई है। लेकिन आवंटन के समय की गिरदावरी से यह स्पष्ट है कि वक्त आवंटन उक्त खसरा नंबर में पंचायत समिति का कार्यालय बना हुआ है, जो कि सम्वत 2018 से बना हुआ है। इसके अलावा विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से प्राप्त हुई मौका पर्चा/मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2004 के अनुसार उक्त खसरा में पंचायत समिति एवं कुछ हिस्सा पर आबादी बसी हुई है। यह रिपोर्ट रैस्पोडेन्ट की संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर तैयार की गई है। इसी प्रकार तहसीलदार भरतपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में आवंटित भूमि पर पंचायत समिति का कार्यालय बने होने का उल्लेख किया है, परन्तु जिला कलक्टर भरतपुर ने उक्त दस्तावेज के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया। तहसीलदार भरतपुर की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर को भिजवाई गई रिपोर्ट दिनांक दिनांक 14.03.2007 के अनुसार साविक खसरा नंबर 1792 से बने हाल खसरा नंबर 1813, 1814, 1815/2392 व 1815/2393 में से खसरा नंबर 1813, 1814 व 1815/2393 में पंचायत समिति सेवर के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 1815/2392 पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के काबिज होने का बताया गया। विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2015 के पेज संख्या 4 में यह मानते हुए कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी के मूल आवंटी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। मात्र विवादित आराजी के 4 विस्वा के केता के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि मूल आवंटी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार रहते हैं। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत 14 (4) संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों के बारे में अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में स्वप्रेरणा से भी आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। अपीलान्ट उक्त प्रकरण में प्रभावित व्यक्ति है। जिसे जिला कलक्टर के द्वारा पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का पूर्ण अधिकार है। इस तर्क के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने 1998 आर.बी.जे पेज 171 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। उक्त प्रकरण में चूंकि न तो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन किया गया है और न ही खाली भूमि का आवंटन किया गया है। इसलिए आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होने के बाबजूद भी जिला कलक्टर ने तकनीकी बिन्दु पर 14 (4) संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में कानूनी भूल की है। ऐसा आवंटन आदेश जो अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हो को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, जो कि आर.बी.जे 2000 पेज 548 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से स्पष्ट है। अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की कोई मियाद नहीं है। इसी प्रकार गलत तथ्यों के

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

आधार पर किए गए आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2015 निरस्त किया जावे तथा आवंटन सलाहकार समिति की ओर से दिनांक 02.10.1970 को साविक खसरा नंबर 1792 में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2015 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उचित है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत 14 (4) संबंधी प्रार्थना पत्र में मूल आवंटी को पक्षकार नहीं बनाकर केता को पक्षकार बनाया गया है। जबकि आवंटन नियमों के तहत आवंटन निरस्त करवाए जाने की कार्यवाही हेतु मूल आवंटी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट उक्त प्रकरण में न तो प्रभावित पक्षकार है और न ही अपीलान्ट के किसी प्रकार के कोई हित प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अपीलान्ट ने न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में यह स्पष्ट किया है कि अपीलाधीन आवंटन से वे किस तरह प्रभावित हैं तथा उनके हित कैसे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2015 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में आवंटन सलाहकार समिति की ओर से पारित आदेश दिनांक 02.10.1970 के द्वारा साविक खसरा नंबर 1792 हाल खसरा नंबर 1815/2392 रकबा 0.04 है0 का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत केता पून्नाराम पुत्र गुलबा, राजस्थान सरकार जरिये आवंटन सलाहकार समिति व पंचायत समिति सेवर को पक्षकार बनाते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें जिला कलक्टर द्वारा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2015 को पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह माना है कि पत्रावली तहत में आवंटन सलाहकार समिति ने रकबा आवंटन करने से पूर्व हल्का पटवारी की रिपोर्ट ली है, जिसमें वक्त आवंटन खसरा नंबर 1792 खाली होने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर ने यह भी माना है कि प्रार्थी के द्वारा विवादित आराजी के मूल आवंटी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। मात्र विवादित आराजी के रकबा 4 विस्वा के केता के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि मूल आवंटी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के हक में किये गये वयनामा के बारे में प्रार्थना पत्र में चुनौती दिये जाने का कोई विवरण अंकित नहीं किया है। वयनामा के प्रभाव में रहते हुए मूल

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आवंटी को पक्षकार मुकदमा बनाए बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होना नहीं पाया है। विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर के उक्त अभिमत से हम सहमत हैं, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) में यह प्रावधान किया हुआ है कि कलक्टर को उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति होगी। यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यप्रदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो या आवंटी ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। इस नियम के परन्तुक में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला ऐसा कोई आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जाएगा। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में संदर्भित विभिन्न नजीरों यथा 2000 आर.बी.जे पेज 548, 1998 आर.बी.जे पेज 171, 1999 आर.बी.जे पेज 443, 2013 आर.बी.जे पेज 621, 2013 आर.बी.जे पेज 612, 2007 (1) आर.आर.टी पेज 87, 2004 (2) आर.आर.टी पेज 1072, 2021 (1) आर.आर.टी पेज 212, 2003 आर.बी.जे पेज 316, 2019 (1) आर.आर.टी पेज 367, 2022 (1) आर.आर.टी पेज 686, 2021 (1) आर.आर.टी पेज 740 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तों का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा आवंटी मंगल पुत्र शोभा को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत आवंटन नियमों के नियम 14 (4) के तहत जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें मूल आवंटी मंगल पुत्र शोभा को पक्षकार नहीं बना कर केता को पक्षकार बनाया गया है। जबकि आवंटन नियमों के नियम 14 (4) में वर्णित परन्तुक के अनुसार मूल आवंटी प्रभावित व्यक्ति होने के कारण पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जो आवंटन दिनांक 02.10.1970 को किया गया है। वह आवंटन रैस्पोडेन्ट संख्या 1 पून्नाराम पुत्र गुलबा को नहीं कर मंगल पुत्र शोभा को ही किया गया है। ऐसी स्थिति में मूल आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना आवंटन सलाहकार समिति की ओर से पारित किये गये आवंटन आदेश दिनांक 02.10.1970 में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर